

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 541—576

Dated 14-5-2011

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 144.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ख" और "ग" (रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल) भर्ती नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ख" और "ग" (रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ख" और "ग" (रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल) भर्ती नियम, 2006 में,—

(i) नियम 2 में, "वेतनमान और वेतनमानों" शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) विद्यमान "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. हैड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर)	6541* (2010) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग', (अराजपत्रित, अनुसचिवीय योद्धक)	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)
टिप्पण :— आयु-सीमा अवधारित						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. हैड कांस्टेबल (रेडियो फीटर)	263* (2010) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग', (अराजपत्रित, अनुसूचितवीय योद्धक)	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण, और	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
(ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स या विद्युत इंजीनियरी में दो वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, या		
(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से अंग्रेजी, गणित और भौतिक शास्त्र या सामान्य विज्ञान के साथ 10+2 में उत्तीर्ण।		

(11)	(12)
कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) से पुनः भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसा कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), जिसने अनुप्रमाणन के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो। शैक्षिक अर्हता : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण, और (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स या विद्युत इंजीनियरी में दो वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से अंग्रेजी, गणित, और भौतिक शास्त्र या सामान्य विज्ञान के साथ 10+2 में उत्तीर्ण। उन्हें अभिरुचि परीक्षण में चयनित किए जाने और बुनियादी रेडियो ऑपरेटर पाठ्यक्रम (बी. आर. एफ. सी.) की सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् हैड कांस्टेबल (रेडियो फीटर) के रूप में पुनः भर्ती किया जाएगा।

(13)		(14)
कमांडेंट	— पीठासीन अधिकारी	लागू नहीं होता ।
उप कमांडेंट	— सदस्य-I	
सहायक कमांडेंट	— सदस्य-II	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक उप-निरीक्षक (तकनीकी)	546* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह 'ग', (अराजपत्रित, अनुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) टिप्पण :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान के साथ और मैट्रिक उत्तीर्ण और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रेडियो इंजीनियरी/इलैक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर में तीन वर्ष का डिप्लोमा । कंप्यूटर के साथ साफ्टवेयर या हार्डवेयर में प्रशिक्षित व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र, गणित और अंग्रेजी के साथ विज्ञान स्नातक की डिग्री ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(11)	(12)
(i) 20 प्रतिशत हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर) से पुनः भर्ती द्वारा, (ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।	ऐसा हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर), जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है । चयन के पश्चात्, उन्हें अभिवृत्ति परीक्षण में चयनित किए जाने और बुनियादी रेडियो मैकेनिक पाठ्यक्रम (बी आर एम सी) की सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्, सहायक उप-निरीक्षक (तकनीकी) के रूप में पुनः भर्ती किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सहायक उप-निरीक्षक (क्रिप्टो)	79* (2010) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग', (अराजपत्रित, अनुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

ऐसा हैड कांस्टेबल (क्रिप्टो), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(13)	(14)
उप महानिरीक्षक	—पीठासीन अधिकारी
कमांडेंट	—सदस्य-I
उप कमांडेंट	—सदस्य-II

लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

ऐसा हैड कांस्टेबल (रेडियो फिटर), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

(13)	(14)
उप महानिरीक्षक कमांडेंट उप कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी —सदस्य-I —सदस्य-II लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. उप-निरीक्षक (क्रिप्टो)	116* (2010) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	समूह 'ख', (अराजपत्रित, अनुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	30 वर्ष से कम । (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा

(7)

में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित और भौतिक शास्त्र या कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ बैचलर डिग्री या समतुल्य।

(9)

नहीं

(10)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)

1. 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और
 2. 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
- टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
- टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
- टिप्पण 3 :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(12)

ऐसा सहायक उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर), जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।

(11)

वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(13)

(14)

उप महानिरीक्षक —पीठासीन अधिकारी
कमांडेंट —सदस्य-I
उप कमांडेंट —सदस्य-II

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. उप-निरीक्षक (रेडियो फिटर)	5* (2010) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख', (अराजपत्रित, अनुसचिवीय योद्धक)	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

ऐसा सहायक उप निरीक्षक (रेडियो फिटर), जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।

(13)		(14)
उप महानिरीक्षक	—पीठासीन अधिकारी	लागू नहीं होता।
कमांडेंट	—सदस्य-I	
उप कमांडेंट	—सदस्य-II	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर)	313* (2010) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख', (अराजपत्रित, अनुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

उप निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(13)		(14)
पुलिस महानिरीक्षक	—पीठासीन अधिकारी	लागू नहीं होता।
उप महानिरीक्षक	—सदस्य-I	
कमांडेंट	—सदस्य-II	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

ऐसा उप निरीक्षक (तकनीकी), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
पुलिस महानिरीक्षक उप महानिरीक्षक कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी —सदस्य-I —सदस्य-II लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. निरीक्षक (रेडियो फिटर)	2* (2010) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	समूह 'ख', (अराजपत्रित, अनुसचिवीय योधक)	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से

ऐसा उप निरीक्षक (रेडियो फिटर), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

(11)

जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)

पुलिस महानिरीक्षक — पीठासीन अधिकारी
उप महानिरीक्षक — सदस्य-I
कमांडेंट — सदस्य-II

(14)

लागू नहीं होता।

[फा. सं. आर-दो-5/2009-11-सी-13-कार्मिक]

अजय कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2011

G.S.R. 144.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) Recruitment Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) (Amendment) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) Recruitment Rules, 2006:—

(i) in rule 2, for the words "scale of pay and scales of pay", the words "pay band, grade pay or pay scale" shall be substituted.

(ii) for the existing "Schedule", the following "Schedule" shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band; Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Head Constable (Radio Operator)	6541* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Head Constable (Radio Fitter)	263* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(8)			(9)		(10)	
(i) Pass in Matric with English, Mathematics and General Science from a recognized Board; and (ii) Two years certificate course in Electronics or Electrical Engineering from a recognised Industrial Training Institute; Or (iii) Pass in 10+2 with English, Mathematics and Physics or General Science from a recognized Board or University.			Not applicable		Two years for direct recruits.	
(11)			(12)			
Remustering from Constable (General Duty) failing which by direct recruitment.			Constable (General Duty) with two years of service after attestation. Educational qualification : (i) Pass in Matric with English, Mathematics and Science from a recognized Board; and (ii) Two years certificate course in Electronics or Electrical Engineering from a recognized Industrial Training Institute. Or Pass in 10+2 with English, Mathematics and Physics from a recognized Board or University. They will be remustered as Head Constable (Radio Fitter) after they are selected in an aptitude test and successfully qualify the Basic Radio Fitter Course (BRFC).			
(13)			(14)			
Commandant Deputy Commandant Assistant Commandant		—Presiding Officer —Member-I —Member-II		Not applicable.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Sub-Inspector (Technical)	546* (2010) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servant upto 40 years). <u>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) for recruitment test.</u>

(8)	(9)	(10)
Pass in Matric with English, Mathematics and General Science from a recognized Board with three years. Diploma in Radio Engineering or Electronics or Computers, from a recognised institute. Preference will be given to those trained in Software or Hardware of computers.	Not applicable	Two years for direct recruits
Or B.Sc. degree with Physics, Mathematics and English from a recognised University.		

(11)	(12)
(i) 20% by remustering from Head Constable (Radio Fitter). (ii) 80% by direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Head Constable (Radio Fitter) who have completed two years regular service in the grade. They will be remustered as Assistant Sub-Inspector (Technical) after they are selected in an aptitude test and successfully qualify the Basic Radio Mechanic Course (BRMC).

(13)	(14)
Deputy Inspector General	—Presiding Officer
Commandant	—Member-I
Deputy Commandant	—Member-II
	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	No	Not applicable
(11)	(12)	

By promotion.

Note:

1. For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Head Constable (Crypto) with five years regular service in the grade.

(13)	(14)
Deputy Inspector General	—Presiding Officer
Commandant	—Member-I
Deputy Commandant	—Member-II
	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Assistant Sub-Inspector (Draughtsman)	12* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(11)

two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)

(14)

Deputy Inspector General	—Presiding Officer	Not applicable.
Commandant	—Member-I	
Deputy Commandant	—Member-II	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Sub-Inspector (Crypto)	116* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B' (Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay : Rs. 4200	Selection	Not applicable*	Below 30 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)

(9)

(10)

Bachelor degree or equivalent from a recognised University with Mathematics and Physics as subjects.	No	Two years for direct recruits
--	----	-------------------------------

(11)

(12)

1. 90% by promotion and
2. 10% by direct recruitment.

Note :

1. For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the

Assistant Sub-Inspector (Crypto) with six years regular service in the grade.

(11)

Note:

1. For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

3. Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.

(13)	(14)
DPC (for considering and confirmation) :—	Not applicable.
Deputy Inspector General	—Presiding Officer
Commandant	—Member-I
Deputy Commandant	—Member-II
Co-opted Member	—Member-III

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Sub-Inspector (Technical)	289* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B' (Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Selection	Not applicable	Below 30 years (Relaxable for Government servant upto 40 years) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion. Note :	Assistant Sub-Inspector (Radio Fitter) with six years regular service in the grade.

1. For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)	(14)
Deputy Inspector General	—Presiding Officer
Commandant	—Member-I
Deputy Commandant	—Member-II
	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Sub-Inspector (Draughtsman)	1* (Year 2010) (*Subject to variation dependent on workload.)	Group 'B' (Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion Note :	Assistant Sub-Inspector (Draughtsman) with six years regular service in the grade.

1. For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular

(11)

short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)

(14)

Inspector General of Police	—Presiding Officer	Not applicable.
Deputy Inspector General	—Member-I	
Commandant	—Member-II	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Inspector (Crypto)	72* (2010) (*Subject to variation dependent on workload.)	Group 'B' (Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised)	Pay Band-2 Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)

(9)

(10)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

(11)

(12)

By promotion.

Note:

1. For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Sub-Inspector (Crypto) with five years regular service in the grade

(13)

(14)

Inspector General of Police	—Presiding Officer	Not applicable.
Deputy Inspector General	—Member-I	
Commandant	—Member-II	

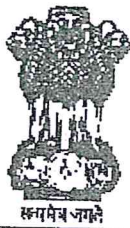
(11)	(12)
By promotion. Note: 1. For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission. 2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of their such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Sub-Inspector (Radio Fitter) with five years regular service in the grade.

(13)	(14)
Inspector General of Police Deputy Inspector General Commandant	—Presiding Officer —Member-I —Member-II Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. Inspector (Draughtsman)	1* (2010) (*Subject to variation dependent on workload.)	Group 'B' (Non-Gazetted, Non-Ministerial Combatised)	Pay Band-2 Rs. 9300— 34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion Note: 1. For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.	Sub-Inspector (Draughtsman) with five years regular service in the grade.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936

No. 142]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015 /PHALGUNA 22, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

सा.का.नि. 188(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' और 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, किप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल) भर्ती नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' और समूह 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, किप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल)(संशोधन) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' और समूह 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, किप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ से संबंधित कम संख्या 04, पर सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी) पद के सामने, स्तंभ -8 के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

आवश्यक:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रेडियो इंजीनियरी या इलेक्ट्रानिक्स अथवा कंप्यूटर में तीन वर्ष का डिप्लोमा हो ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ विज्ञान में स्नातक ।

वांछनीय:

सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंप्यूटर में प्रशिक्षित व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी" ।

[फा. सं. आर-दो-1/14-सी(6)]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पणः—मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 230 तारीख 16 सितम्बर 2006 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सा.का.नि. 144 तारीख 14 मई 2011 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

G.S.R. 188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) Recruitment Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) Recruitment (Amendments) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) Recruitment Rules, 2006, in the schedule, against the post of Assistant Sub-Inspector (Technical) at the serial number 4, for the entries under column number 8 relating to educational and other qualification required for direct recruits, the following entries shall be substituted namely:—

“Essential:

10th Class Pass from a recognized Board with three years diploma in Radio Engineering or Electronics or Computers, from a recognized institute;

Or

Bachelor of Science degree with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized university.

Desirable:

Preference shall be given to persons having training in software or hardware computers.”

[F. No. R-II-1/14-C(6)]

DINESH MAHUR, Director (Pers)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 230, dated the 16th September, 2006 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 144 dated 14th May, 2011.

